न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी :– साधुराम जाट (आर.ए.एस)

मुकदमा नम्बरः– 24/2019 निर्णय दिनांक :– 24.08.2021

1. हरनाथ सिंह पुत्र बदनसिंह
   1/1. उमराव कंवर पत्नी हरनाथ सिंह
   1/2. भंवर कंवर पुत्री हरनाथ सिंह
   1/3. कृष्ण कंवर पुत्री हरनाथ सिंह
   1/4. प्रेम कंवर पुत्री हरनाथ सिंह
   1/5. मोहन कंवर पुत्री हरनाथ सिंह
   1/6. राकेश कंवर पुत्री हरनाथ सिंह
   1/7. दिलीप सिंह पुत्र हरनाथ सिंह
   1/8. कमल सिंह पुत्र हरनाथ सिंह
2. लक्ष्मण सिंह पुत्र बदनसिंह
3. आशु सिंह पुत्र फुल सिंह
4. राजेन्द्र सिंह पुत्र फुल सिंह
5. रक्षपाल सिंह पुत्र फुल सिंह
6. शायर सिंह पुत्र फुल सिंह

तमाम जाति राजपूत निवासी डाबडी धीरसिंह तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)

7. सुभाष पुत्र सांवलराम जाति जाट
8. बंशीधर पुत्र सांवलराम जाति जाट
9. पतासी देवी पत्नी सांवलराम जाति जाट

} तमाम निवासीगण खातीयों का बास तहसील मलसीसर

– वादीगण

बनाम

1. मंगतु पुत्र सुभान
2. जुबेदा बानो पत्नी यासीन
3. मो. फारूक पुत्र यासीन
4. जियाउलहक पुत्र यासीन
5. आमीना बानों पुत्री यासीन
6. रहीसा बानों पुत्री यासीन
7. शमीम बानों पुत्री यासीन
8. राबीया बानों पुत्री यासीन
9. माफीया बानों पुत्री यासीन
10. खालीदा बानों पुत्री यासीन
11. जमीला बानों पुत्री यासीन

–तमाम जाति व्यापारी निवासी डाबडी धीरसिंह तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।

12. स्काईलार्क हेचरी प्राईवेट लि. जरिये डायरेक्टर जसवीर सिंह, देसवाल पुत्र शंकर सिंह देसवाल जाति जाट निवासी गावं अन्टा तहसील सफीदो जिला जिन्द हरियाणा
13. देवीसिंह पुत्र प्रताप सिंह
14. भींव सिंह पुत्र प्रताप सिंह
15. कमलेश कंवर पुत्री प्रताप सिंह
16. हवा कंवर पुत्री प्रताप सिंह

} जाति राजपूत निवासी डाबडी धीरसिह तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।

17. बडौदा क्षेत्रिये ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबंधक मंड्रेला तहसील चिडवा जिला झुन्झुनू (राज.)
18. इलाहबाद बैंक जरिये शाखा प्रबंधक झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

19. आन्ध्रा बैंक शाखा जिन्द जरिये शाखा प्रबंधक जिन्द तहसील व जिला जिन्द हरियाणा।
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू ।
21. गुरूदयाल पुत्र लक्षमणाराम जाति कुमावत निवासी डावडी धीरसिंह तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
22. चिडिया देवी पुत्री लक्षमणाराम पत्नी नारायण जाति कुमावत निवासी डावडी धीरसिंह त. मलसीसर हाल निवासी धनुरी तह. मलसीसर।
23. कोश्लया देवी पुत्री लक्षमणाराम पत्नी लीलाधर जाति कुमावत निवाडी डावडी धीरसिंह त. मलसीसर हाल निवासी मण्ड्रेला त. चिड़ावा जिला झुंझुनूं।
24. परमेश्वरी देवी पुत्री लक्षमणाराम पत्नी प्रहलाद जाति कुमावत निवाडी डावडी धीरसिंह हाल निवासी मण्ड्रेला त. चिड़ावा जिला झुंझुनूं।
25. चन्दो देवी पुत्री लक्षमणाराम पत्नी महावीर जाति कुमावत निवासी डावड़ी धीरसिंह तहसील मलसीसर हाल निवासी धनुरी तहसील मलसीसर।

– **प्रतिवादीगण**

<u>दावा बाबत घोषणार्थ खाता विभाजन एवं रिकार्ड दुरूस्ती</u>

निर्णय दिनांक :– 24.08.2021

अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि राजस्व सरहद डावडी धीरसिंह तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू के खेत के गत खसरा नम्बर 88 रकवा 17 बीघा 2 विश्वा, खसरा नम्बर 48 रकबा 29 बीघा 14 विश्वा, खसरा नम्बर 74 रकवा 10 बीघा 3 विश्वा, खसरा नम्बर 73 रकबा 19 बीघा 19 विश्वा, खसरा नम्बर 72/1 रकवा 6 बीघा 4 विश्वा, खसरा नम्बर 212 रकवा 22 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 96 रकवा 7.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 313 रकबा 1.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 314 रकवा 1.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 315 रकवा 1.96 हैक्टर, खसरा नम्बर 316 रकवा 3.09 हैक्टर, खसरा नम्ब्र 317 रकवा 1.57 हैक्टर, खसरा नम्बर 517 रकबा 3.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 518 रकवा 1.80 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकवा 21.64 हैक्टर कृषि भूमि अवस्थित है। जिसे वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 अपनी सहुलियत से कब्जा काश्त है। कब्जा काश्त सम्बन्धी कोई विवाद नहीं है। इसी प्रकार ग्राम वर्णित भूमि गणपत सिंह पुत्र अगर सिंह जाति राजपूत की खातेदारी काश्तकारी की भूमि रही है। गणपत सिंह फौत होने पर उनके वारिसों पृथ्वीसिंह, प्रताप सिंह, फुल सिहं, मंगेज सिंह व वच्चन सिंह के हिस्से में उपरोक्त वर्णित भूमि व अन्य भूमिया जो इनके वारिसों द्वारा विक्रय कर दी गई है। उत्तराधिकार में आई। अन्य भूमियां जिनका बेचना कर दिया गया है उनके सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं होने के कारण यहां विवरण नहीं दिया गया है। गणपत सिंह की वाके ग्राम खातीयों का वास में गत खसरा नम्बर 388 रकबा 27 बीघा 8 विश्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 16 रकवा 6.93 हैक्टर भूमि रही है जिसमें वादी संख्या 7 लगायत 9 को 2/5 हिस्सा, गणपत सिंह के पुत्र पृथ्वीसिंह व मंगेज सिंह के हिस्से को क्रय करने व कब्जा खातीयों के बास में स्थित भूमि में होने के कारण दे दिया गया है तथा उसके लिए अलग से वादी संख्या 7 लगायत 9 ने पेश किया है जिससे उनका हिस्सा खातीयों के बास स्थित भूमि में प्राप्त हो जाये व वाद पर की धारा 1 में वर्णित भूमि में उनका नाम हजफ हो जाये तो वादीगण को कोई आपति नहीं होगी। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 16 के पिता स्व. प्रताप सिंह ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय कर दिया था अब उपरोक्त वादपत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि में प्रताप सिंह का कोई भी हिस्सा शेष नहीं है। राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की गलत से प्रताप सिंह का नाम उपरोक्त वर्णित राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया है जिसे हजफ किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार वादी संख्या 1 व 2 का कब्जा खसरा नम्बर 313, 314, 315, 316, 317 में 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 96 में 1/4 हिस्सा, खसरा नम्बर 517 में 1.35 हैक्टर भूमि हिस्सा है। फुलसिंह पुत्र गणपत सिंह से प्राप्त भूमि

पर फुलसिंह के वारिस वादी संख्या 3 लगायत 6 है जिनका राजस्व रिकार्ड में अपने हिस्से से कम भूमि का इन्द्राज है। उक्त वादी संख्या 3 लगायत 6 खसरा नम्बर 313, 314, 315, 316, 317 में 1/2 हिस्सा में कब्जा काश्त है। खसरा नम्बर 517 में 1.35 हैक्टर भूमि पर कब्जा काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 लगायत 11 का खसरा नम्बर 517 व 518 में 2.16 हैक्टर हिस्सा भूमि है जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 लगायत 11 शांतिपूर्वक कब्जा काश्त है। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 11 के पिता यासीन के फौत होने पर उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 11 को पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 11 को बराबर हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 12 ने मंगेज सिंह पुत्र गणपत सिह से उसके हिस्से की सम्पूर्ण भूमि क्रय कर ली थी। जिसका खसरा नम्बर 96 में 3/4 हिस्सा पर है जिसने अपने कब्जे के हिस्से की भूमि पर पुख्ता चार दिवारी बना रखी है। यह कि वादीगण संख्या 1 व 2 को खसरा नम्बर 313, 314, 315, 316, 317 में 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 96 में 1/4 हिस्सा, खसरा नम्बर 517 में 1.35 हैक्टर भूमि का तथा वादीगण संख्या 3 लगायत 6 को खसरा नम्बर 313, 314, 315, 316, 317 में 1/2 हिस्सा व खसरा नम्बर 517 में 1.35 हैक्टर भूमि हिस्सा का तथा प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या 1 व 2 लगायत 11 का खसरा नम्बर 517 व 518 में 2.16 हैक्टर हिस्सा भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 12 को खसरा नम्बर 96 में 3/4 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमया जावे। वादी संख्या 7 लगायत 9 को खातीयों का बास में स्थित भूमि में उनका हिस्सा सम्बन्धी दावा पेश कर दिया गया है उनको वहां उनका हिस्सा मिलने पर वादी संख्या 7 लगायत 9 का वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि में नाम हजफ किया जाने के आदेश प्रदान करें। उक्त वर्णित भूमि वाद पत्र की धारा 1 का अभी तक बाई मिटस एण्ड बाउण्ड खाता विभाजन नहीं हुआ है जिसका खाता विभाजन किया जाना आवश्कय है।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दौराने दावा वादी संख्या 1 की मृत्यु हो गई जिसके वारिसान को वाद पत्र में पक्षकार वादी संख्या 1/1 लगायत 1/8 को वाद पत्र में पक्षकार बनाया गया तथा वादी संख्या 1 के नाम के आगे मृतक शब्द जोड़ा गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 व 13 लगायत 16 की ओर से जवाब दावा पेश किया जाकर दावा में दर्ज समस्त इबारत स्वीकार की गई एवं अंत में वाद वादीगण के पक्ष में डिक्री किया जाकर वादीगण द्वारा चाही गई सिद्धी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया तथा प्रतिवादी संख्या 13 लगयात 16 ने अपना नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ करने की सिद्धी को स्वीकार किया कि राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण संख्या 13 लगायत 16 का नाम हजफ किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 13 लगायत 16 को कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रतिवादी संख्या 12 ने अपना जवाव दावा पेश किया उसके बाद प्रतिवादी संख्या 12 ने राजीनाम पेश किया जिसमें प्रतिवादी संख्या 12 को 6.50 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा अलग खाता कायम किया जाता है तो वाद वादीगण डिक्री फरमये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। उक्त दावे आदेश 1 नियम 10 जा.दी. के तहत प्रार्थना पत्र पेश हुआ बाद बहस स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 21 लगायत 25 को वाद पत्र में प्रतिवादी/पक्षकार बनाया गया जिसमें बाद में संशोधित उनवान पेश किया गया। जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 21 लगायत 25 ने जबाब दावा पेश किया तथा जबाब दावा में अपने विक्रय पत्र के अनुसार व मौके पर काबिज काश्त अनुसार क्रयशुदा भूमि पर खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया तथा अन्य तमाम इबारत वाद पत्र स्वीकार की जाकर वाद वादीगण के पक्ष में डिक्री किया जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने बहस श्रवण करने का निवेदन किया तथा बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जावे। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुवे निवेदन किया कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 25 को कोई एतराज व आपत्ति नहीं है तथा अंत में पक्षकारों के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि खसरा नम्बर 96 के राजस्व रिकार्ड में जमावंदी में 7.58 हैक्टर भूमि है तथा मौके पर व नक्शे में 8.07

उपखण्ड अधिकारी

हैक्टर भूमि है तथा खसरा नम्बर 313 लगायत 317 की जमाबंदी में 9.17 हैक्टर भूमि है लेकिन मौके पर नक्शे में 9.75 हैक्टर भूमि दर्ज है तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 517 व 518 के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में 4.87 हैक्टर भूमि है लेकिन मौके पर एवं नक्शे में 3.76 हैक्टर भूमि है जिन्हे राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने का निवेदन किया। अतः वादीगण वाद पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस श्रवण की गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 25 द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब दावा एवं राजीनामा के आधार पर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित होता है।

आदेश

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा डिक्री इस आशय की दी जाती है कि वाके ग्राम डाबडीधीर सिंह तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू की सरहद में कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 96 रकबा 7.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 313 रकबा 1.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 314 रकबा 1.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 315 रकबा 1.96 हैक्टर, खसरा नम्बर 316 रकबा 3.09 हैक्टर, खसरा नम्ब्र 317 रकबा 1.57 हैक्टर, खसरा नम्बर 517 रकबा 3.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 518 रकबा 1.80 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 21.64 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज खसरा नम्बर 96 के राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी में 7.58 हैक्टर भूमि है तथा मौके पर व नक्शे में 8.07 हैक्टर भूमि है तथा खसरा नम्बर 313 लगायत 317 की जमाबंदी में 9.17 हैक्टर भूमि है लेकिन मौके पर नक्शे में 9.75 हैक्टर भूमि दर्ज है तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 517 व 518 के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में 4.87 हैक्टर भूमि है लेकिन मौके पर एवं नक्शे में 3.76 हैक्टर भूमि को दुरूस्त किया जाकर मौके एवं नक्शे अनुसार जमाबंदी में रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर वादी संख्या 1/1 लगायत 8 को खसरा नम्बर 313 लगायत 317 में 1/4 हिस्सा व खसरा नम्बर 96 में 0.785 हैक्टर भूमि तथा वादी संख्या 2 को खसरा नम्बर 313 लगायत 317 में 1/4 हिस्सा व खसरा नम्बर 96 में 0.785 हैक्टर भूमि तथा वादी संख्या 4 लगायत 6 को संयुक्त रूप से खसरा नम्बर 313 लगायत 317 में 1/2 हिस्सा, इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 को खसरा नम्बर 518 व खसरा नम्बर 517 में 2.16 हैक्टर भूमि व प्रतिवादी संख्या 12 को खसरा नम्बर 96 में 6.50 हैक्टर भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 21 लगायत 25 को खसरा नम्बर 517 में 1.60 हैक्टर भूमि का मौके पर काबिज काश्त अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाता है। वादी संख्या 7 लगायत 9 तथा प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 16 के नाम हजफ किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। वादीगण 01 लगायत 06 व प्रतिवादीगण 01 लगायत 11 के घोषित हिस्से कब्जा काश्त के अनुसार विधिवत विभाजन किए जाने का आदेश दिया जाता है। तदानुसार तहसीलदार मलसीसर को 800/– रूपये फीस पर मौका कमिशनर नियुक्त किया जाकर उभयपक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के दो प्रतियों में न्यायालय में पेश करें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

साधु 24/8/21

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

आर.सी.एम.एस. नम्बर 2018/00099

(आदेश 20 का नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारीः–साधुराम जाट,
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत धोषणार्थ, खाता विभाजन एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अंन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :– 24/2019 (हरनाथसिंह बनाम मंगतू वगैरह)

निर्णय दिनांक :– 11.04.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, साधुराम जाट (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 24.08.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार मलसीसर को आदेश दिया गया था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एंव कब्जा काश्त के अनुसार विधिवत् विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार मलसीसर के आदेश क्रमांक भू0अ0/2022/581 दिनांक 24.03.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। विभाजन प्रस्ताव एवं सलग्न नक्शे अनुसार अन्तिम डिक्री दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव एंव सलंग्न नक्शा अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 11.04.2022 को जारी की गई।

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर